

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) श्रीगंगानगर ①

: आदेश :

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता-अनुदान और सेवा शर्तें आदि) अधिनियम 1989 व 1993 एवं राज्य सरकार के पत्रांक प9(2)शिक्षा-5/5 दिनांक 21.04.2011 एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर के पत्र दिनांक 25.04.2011 के निर्देशानुसार संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, शपथ पत्र एवं अण्डरटेकिंग के आधार पर सत्र 2011-12 से इनके नाम के सम्मुख अंकित स्तर एवं माध्यम से मान्यता प्रदान की जाती है। मान्यता नियमों एवं विभागीय निर्देशों की पालना न करने पर मान्यता कभी भी निरस्त की जा सकती है।

क्र.स.	संस्था का नाम व पता	मान्यता का स्तर	माध्यम
1.	शाह सतनाम जी बॉयज़ स्कूल, श्री गुरुसरमोडिया, सूरतगढ़	उच्च प्राथमिक	अंग्रेजी

संस्था द्वारा पहले वर्ष में कक्षा 6 प्रारम्भ की जायेगी एवं इसके बाद प्रत्येक वर्ष कक्षा 7 व 8 ।

51  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(प्रा.शि.) श्रीगंगानगर

क्रमांक जिशिअ/गंगा/प्रारं/मान्यता/2011/38/2415 दिनांक:- 16/5/11  
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- (2) उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, चूरु।
- (3) ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सूरतगढ़।
- (4) व्यवस्थापक शाह सतनाम जी बॉयज़ स्कूल, श्री गुरुसरमोडिया,  
सूरतगढ़

16/5/11  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(प्रा.शि.) श्रीगंगानगर